


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश दिनांक: 20.10.16 के द्वारा श्री अशोक बंसल, व्याख्याता, भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुहाना (जयपुर) से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भानपुरकलां (जयपुर) स्थानान्तरणधीन का स्थानान्तरण राजकीय पौद्धार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर, जयपुर एवं श्री मनीष माथुर, व्याख्याता भौतिक विज्ञान का राजकीय पौद्धार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भानपुरकलां (जयपुर) किया गया था । जिसके विरुद्ध श्री मनीष माथुर द्वारा माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3474/2016 मनीष माथुर बनाम सरकार व अन्य दायर की गई जिसके क्रम में माननीय अपील अधिकरण के निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश दिनांक: 02.02.18 के द्वारा श्री मनीष माथुर को योगकाल एवं यात्रा भत्ता प्रदान करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भानपुर कलां (जयपुर) के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोराज (जयपुर) किया गया ।

श्री मनीष माथुर ने दिनांक: 02.02.18 के आदेश के विरुद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में याचिका संख्या 145/2018 मनीष माथुर बनाम सरकार दायर की गई जिसके क्रम में माननीय अपील अधिकरण, जयपुर ने दिनांक: 08.02.18 के उक्त स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन प्रदान करने के कारण दिनांक: 10.01.19 को श्री मनीष माथुर एवं श्री अशोक बंसल काउन्सलिंग हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए परन्तु श्री अशोक बंसल द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं करने के कारण माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में श्री मनीष माथुर व्याख्याता, भौतिक विज्ञान को राजकीय पौद्धार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर, जयपुर यथावत रखते हुए श्री अशोक कुमार बंसल, व्याख्याता, भौतिक विज्ञान का स्थानान्तरण राजकीय पौद्धार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर, जयपुर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भानपुरकलां (जयपुर) किया जाता है । श्री अशोक कुमार बंसल को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 11/01/2019

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/पदस्थापन-स्थाना./2017-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा ।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
5. संबंधित संबंधित संस्था प्रधान को निदेशित किया जाता है कि कार्यालय को शान्तिपूर्वक से कार्यभार/कार्यभार करे ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कामिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता(इतिहास) के कतिपय प्रकरणों में एक स्वीकृत पद पर दो व्याख्याता-इतिहास हो जाने/वेतन व्यवस्था के कारण/विद्यालय एवं छात्रहित को मध्येनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में दिनांक 10.01.2019 को काउंसलिंग रखी जाकर निम्नांकित कार्मिक द्वारा प्रदत्त सहमति द्वारा प्रकरण का निस्तारण विभागीय प्रक्रिया के सुचारु संचालन विद्यालय एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए किया गया।

प्रकरण में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री विरेन्द्र अग्रवाल व्याख्याता-इतिहास का राउमावि बागावास अहिरान-जयपुर से राउमावि धांधोली-दूदू-जयपुर पदस्थापित किया गया। जहां पर अन्य के कार्यरत होने के कारण उक्त श्री अग्रवाल द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण दिनांक 27.09.2018 को राउमावि बीलवाडी-विराटनगर-जयपुर में पदस्थापन किया गया। उक्त स्थान पर काउंसलिंग से श्री विनोद शर्मा, व्याख्याता-इतिहास ने कार्यग्रहण किया, जिससे राउमावि बीलवाडी-विराटनगर-जयपुर एक ही पद पर दो-दो कार्मिक व्याख्याता-इतिहास होने से विद्यालय में उनके वेतन एवं अन्य विद्यालयी व्यवस्थाओं के विचलन की स्थिति होने के कारण व्याख्याता विषय विशेषज्ञ की सेवाओं का छात्रहित एवं विद्यालय हित में निदेशालय में सम्बन्धित कार्मिक की काउंसलिंग रखी जाकर उनसे प्राप्त सहमति के आधार पर पदस्थापन/संशोधन एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्रम	नाम	विषय	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	नवपदस्थापन राउमावि/राबाउमावि
1	विरेन्द्र अग्रवाल	इतिहास	बीलवाडी-जयपुर	शयोपुरा- सांगानेर सिटी- जयपुर

उक्त कार्मिक नवपदस्थापन स्थान पर दिनांक 16.01.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करावें। संबंधित तत्काल पालना करावें।

(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 11.1.19

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/स्था.-पदस्थापन/2018

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 संबंधित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कायालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता(इतिहास) के कतिपय प्रकरणों में न्यायालय स्थगन के अध्यक्षीन एक स्वीकृत पद पर दो व्याख्याता-इतिहास हो जाने/वेतन व्यवस्था के कारण/विद्यालय एवं छात्रहित को मध्येनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में दिनांक 10.01.2019 को काउंसलिंग रखी जाकर निम्नांकित कार्मिकों द्वारा प्रदत्त सहमति द्वारा (न्यायालय स्थगन/निर्णय के अध्यक्षीन) प्रकरणों का निस्तारण विभागीय प्रक्रिया के सुचारु संचालन विद्यालय एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए किया गया।

प्रकरण में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.10.2018 द्वारा श्रीमती निशा मीणा व्याख्याता-इतिहास राबाउमावि पोद्दार- गांधीनगर-जयपुर से राउमावि लूणियावास-सांगानेर-जयपुर स्थानान्तरणाधीन का राबाउमावि पोद्दार-गांधीनगर-जयपुर एवं श्रीमती रश्मि माथुर, व्याख्याता-इतिहास राबाउमावि पोद्दार-गांधीनगर-जयपुर से राउमावि साखुन-दूदू-जयपुर में किया गया, जिस पर उक्त श्रीमती माथुर, व्याख्याता-इतिहास ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर से एस.बी.सी.रिट पीटिशन नम्बर-23409/2018 के अन्तर्गत आगामी आदेशों तक न्यायालय स्थगन लिये जाने से विद्यालय राबाउमावि पोद्दार-गांधीनगर-जयपुर में एक ही पद पर दो-दो कार्मिक व्याख्याता-इतिहास होने से विद्यालय में उनके वेतन एवं अन्य विद्यालयी व्यवस्थाओं के विचलन की स्थिति होने के कारण व्याख्याता विषय विशेषज्ञ की सेवाओं का छात्रहित एवं विद्यालय हित में निदेशालय में सम्बन्धित कार्मिकों की काउंसलिंग रखी जाकर उनसे प्राप्त सहमति के आधार पर न्यायालय स्थगन के अध्यक्षीन पदस्थापन/संशोधन एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्रम	नाम	विषय	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	नवपदस्थापन राउमावि/राबाउमावि
1	रश्मि माथुर	इतिहास	पोद्दार-गांधीनगर-जयपुर से साखुन-दूदू-जयपुर स्थानान्तरणाधीन	लुनियावास- सांगानेर सिटी- जयपुर
2	निशा मीणा	इतिहास	पोद्दार-गांधीनगर- जयपुर	यथावत

उक्त कार्मिकों द्वारा सहमति उपरान्त पदस्थापन/संशोधन माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से प्राप्त न्यायालय स्थगन के निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे। उक्त कार्मिक नवपदस्थापन स्थान पर दिनांक 16.01.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करावें। संबंधित तत्काल पालना करावें।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 11.1.19

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/स्था.-पदस्थापन/2018

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 संबंधित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कायालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता(इतिहास) के कतिपय प्रकरणों में न्यायालय स्थगन के अध्यक्षीन एक स्वीकृत पद पर दो व्याख्याता-इतिहास हो जाने/वेतन व्यवस्था के कारण/विद्यालय एवं छात्रहित को मध्येनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में दिनांक 10.01.2019 को काउंसलिंग रखी जाकर निम्नांकित कार्मिकों द्वारा प्रदत्त सहमति द्वारा (न्यायालय स्थगन/निर्णय के अध्यक्षीन) प्रकरणों का निस्तारण विभागीय प्रक्रिया के सुचारु संचालन विद्यालय एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए किया गया।

प्रकरण में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.07.2018 द्वारा श्रीमती राखी मेहता, व्याख्याता-इतिहास राबाउमावि सी-स्कीम-जयपुर से राबाउमावि शाहपुरा-जयपुर एवं श्रीमती वीणा गुप्ता, व्याख्याता-इतिहास राबाउमावि शाहपुरा-जयपुर से राबाउमावि सी-स्कीम-जयपुर किया गया, जिस पर उक्त श्रीमती राखी मेहता, व्याख्याता-इतिहास ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर से एस.बी.सी.रिट पीटिशन नम्बर-23397/2018 के अन्तर्गत आगामी आदेशों तक न्यायालय स्थगन लिये जाने से विद्यालय राबाउमावि सी-स्कीम-जयपुर में एक ही पद पर दो-दो कार्मिक व्याख्याता-इतिहास होने से विद्यालय में उनके वेतन एवं अन्य विद्यालयी व्यवस्थाओं के विचलन की स्थिति होने के कारण व्याख्याता विषय विशेषज्ञ की सेवाओं का छात्रहित एवं विद्यालय हित में निदेशालय में सम्बन्धित कार्मिकों की काउंसलिंग रखी जाकर उनसे प्राप्त सहमति के आधार पर न्यायालय स्थगन के अध्यक्षीन पदस्थापन/संशोधन एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्रम	नाम	विषय	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	नवपदस्थापन राउमावि/राबाउमावि
1	वीणा गुप्ता	इतिहास	सी-स्कीम, जयपुर	बा. शाहपुरा-जयपुर
2	राखी मेहता	इतिहास	सी-स्कीम, जयपुर	यथावत

उक्त कार्मिकों द्वारा सहमति उपरान्त पदस्थापन/संशोधन माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से प्राप्त न्यायालय स्थगन के निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे। उक्त कार्मिक नवपदस्थापन स्थान पर दिनांक 16.01.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करावें। संबंधित तत्काल पालना करावें।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/स्था.-पदस्थापन/2018

दिनांक-11.1.19

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 संबंधित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर